Section 25 : Procedure for registration

(1) Every person who is liable to be registered under section 22 or section 24 shall apply for registration in every such State or Union territory in which he is so liable within thirty days from the date on which he becomes liable to registration, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that a casual taxable person or a non-resident taxable person shall apply for registration at least five days prior to the commencement of business.

[1]**[Provided** further that a person having a unit, as defined in the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall have to apply for a separate registration, as distinct from his place of business located outside the Special Economic Zone in the same State or Union territory.**]**

Explanation—Every person who makes a supply from the territorial waters of India shall obtain registration in the coastal State or Union territory where the nearest point of the appropriate base line is located.

(2) A person seeking registration under this Act shall be granted a single registration in a State or Union territory:

[2]**[Provided** that a person having multiple places of business in a State or Union territory may be granted a separate registration for each such place of business, subject to such conditions as may be prescribed.**]**

(3) A person, though not liable to be registered under section 22 or section 24 may get himself registered voluntarily, and all provisions of this Act, as are applicable to a registered person, shall apply to such person.

(4) A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one State or Union territory or more than one State or Union territory shall, in respect of each such registration, be treated as distinct persons for the purposes of this Act.

(5) Where a person who has obtained or is required to obtain registration in a State or Union territory in respect of an establishment, has an establishment in another State or Union territory, then such establishments shall be treated as establishments of distinct persons for the purposes of this Act.

---

1 Proviso inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

2 Proviso substituted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019– Central Tax, dt. 29-01-2019. Earlier to substitution it read as under:

"**Provided** that a person having multiple business verticals in a State or Union territory may be granted a separate registration for each business vertical, subject to such conditions as may be prescribed."

(6) Every person shall have a Permanent Account Number issued under the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) in order to be eligible for grant of registration:

Provided that a person required to deduct tax under section 51 may have, in lieu of a Permanent Account Number, a Tax Deduction and Collection Account Number issued under the said Act in order to be eligible for grant of registration.

[3]**[(6A)** Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of [4]notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

---

3 Sub-sections (6A), (6B), (6C), (6D) & explanation inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

4 See Noti. No. 18/2020-Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 01-04-2020.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons or any State or Union territory or part thereof, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation—For the purposes of this section, the expression "Aadhaar number" shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016).**]**

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), a non-resident taxable person may be granted registration under sub-section (1) on the basis of such other documents as may be prescribed.

(8) Where a person who is liable to be registered under this Act fails to obtain registration, the proper officer may, without prejudice to any action which may be taken under this Act or under any other law for the time being in force, proceed to register such person in such manner as may be prescribed.

(9) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),—

(a) any specialised agency of the United Nations Organisation or any Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), Consulate or Embassy of foreign countries ; and

(b) any other person or class of persons, as may be notified by the Commissioner,

shall be granted a Unique Identity Number in such manner and for such purposes, including refund of taxes on the notified supplies of goods or services or both received by them, as may be prescribed.

(10) The registration or the Unique Identity Number shall be granted or rejected after due verification in such manner and within such period as may be prescribed.

(11) A certificate of registration shall be issued in such form and with effect from such date as may be prescribed.

(12) A registration or a Unique Identity Number shall be deemed to have been granted after the expiry of the period prescribed under sub-section (10), if no deficiency has been communicated to the applicant within that period.

धारा 25 : रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परन्तु आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिन पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

[1][**परन्तु यह और** कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) में यथापरिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, ऐसे किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है।**]**

स्पष्टीकरण—प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर–खंड से पूर्ति करता है, ऐसे तटीय राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण की वांछा करने वाले व्यक्ति को किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगाः

[2][**परन्तु** ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के बहु स्थान हैं, वहां विहित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।**]**

(3) कोई व्यक्ति, जो यद्यपि धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है, स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे वे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे।

(4) कोई व्यक्ति, जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण, चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अथवा एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों में अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करना अपेक्षित है ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा।

(5) जहां कोई व्यक्ति, जिसने एक स्थापन की बाबत राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनिमय के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में माना जाएगा।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने हेतु पात्र होने के लिए आय–कर अधिनिमय, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक रखेगा :

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**परन्तु** एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में बहुशीर्ष का कारबार करने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक शीर्ष का कारबार के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकेगा।"

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्यांक के बजाय, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने हेतु पात्र होने के लिए उक्त अधिनिमय के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहरण खाता संख्यांक रख सकेगा।

[3][(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगाः

परन्तु यह और कि सत्यापन कराने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) [4]अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्थापित किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार, द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या वर्गों या किसी राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं होगें, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

---

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधाराए (6क), (6ख), (6ग), (6घ) और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

4 देखे अधिसूचना क्रमांक 18/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020)।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''आधार संख्यांक'' पद का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय ओर अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्षियत परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क) में उसका है।]

(7) उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति को, ऐसे अन्य दस्तावेजों, जो विहित किए जाएं, के आधार पर उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।

(8) जहां कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है, रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में विफल हो जाता है, वहां उचित अधिकारी, ऐसी किसी कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(9) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित बहुपक्षी वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशों के कौंसल–कार्यालय या राजदूतावास को; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित पूर्ति पर करों का प्रतिदाय भी है जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्यांक को मंजूर किया जाएगा।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित किया जाए, मंजूर किया जाएगा या नामंजूर किया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में, और ऐसी तारीख से जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(12) किसी रजिस्ट्रीकरण या एक विशिष्ट पहचान संख्यांक को, उपधारा (10) के अधीन विहित अवधि के अवसान के पश्चात् मंजूर किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदक को उस अवधि के भीतर कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है।